बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

दिनांक–11.04.2019 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में सुखाड़ से निपटने हेतु आपातकालीन प्रबंधन समूह (CMG) की सम्पन्न बैठक की कार्यवाही।

1. उपस्थिति–संलग्न।

<u>भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD)</u>

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के प्रतिनिधि के द्वारा बताया गया कि आगामी 2–3 दिनों तक मौसम वर्त्तमान स्थिति के अनुरूप होगा तथा अगले 5 दिनों में पूर्वी बिहार में वर्षापात के साथ ओलावृष्टि होने की संभावना है, जिसके संबंध में अद्यतन जानकारी बाद में दी जायेगी।

मुख्य सचिव, बिहार द्वारा विगत 10 वर्षो में राज्य में मॉनसून की प्रवेश की तिथि की जानकारी मांगी गई, जिसके आलोक में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के प्रतिनिधि के द्वारा आगामी बैठक में सूचना उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया। मुख्य सचिव द्वारा परामर्श दिया गया कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दी जा रही मौसम पूर्वानुमान के बेहतर समझ हेतु कृषि विभाग, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से कार्यशाला का आयोजन बामेती, पटना में करे, जिसमें कृषि विभाग के पदाधिकारी/कर्मी के साथ आपदा प्रबंधन विभाग में संचालित राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र के पदाधिकारी एवं कर्मी भी भाग ले।

<u>कृषि विभाग</u>

कृषि विभाग के प्रधान सचिव द्वारा बताया गया कि दिनांक– 09.04.2019 को राज्य के विभिन्न जिलों में हुई ओलावृष्टि से फसल क्षति होने की सूचना प्राप्त हुई है, जिसके आलोक में सर्वेक्षण का कार्य जारी है। इसके लिए प्रभावित कृषकों से कृषि विभाग के वेब पोर्टल पर ऑन लाईन आवेदन प्राप्त किया जायेगा तथा सत्यापनोपरांत एक सप्ताह में साहाय्य मानदर के अनुरूप राशि का भुगतान सीधे प्रभावित कृषकों के बैंक खाते में अंतरित कर दिया जायेगा। मुख्य सचिव ने निदेश दिया कि यह कार्रवाई शनिवार 13.04.19 से प्रारम्भ की जाय। प्रधान सचिव, कृषि विभाग ने यह भी बताया गया कि गत वर्ष सुखाड़ के मद्देनजर आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा कृषि इनपुट सब्सिडी मद में राशि उपलब्ध करायी

गयी थी, जिसमें कुछ राशि अवशेष है। उनके द्वारा उक्त अवशेष राशि से ही वर्त्तमान में ओलावृष्टि के कारण हुई फसल क्षति के लिए प्रभावित कृषकों को कृषि इनपुट अनुदान के वितरण करने का प्रस्ताव दिया गया, जिसके आलोक में मुख्य सचिव द्वारा सहमति दी गई। यह भी निदेश दिया गया कि आपदा प्रबंधन विभाग से इस मद में राशि प्राप्त होने पर उसका सामंजन कर ली जाय।

मुख्य सचिव, बिहार द्वारा निदेश दिया गया कि 3 से 4 दिनों के अन्दर फसल क्षति का सर्वेक्षण करवाकर प्रभावित कृषकों को कृषि इनपुट अनुदान का वितरण यथाशीघ्र किया जाय। कृषि इनपुट अनुदान वितरण के प्रक्रिया की जानकारी कृषको को भी उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के द्वारा बताया गया कि वर्त्तमान में लखीसराय जिले के 2 पंचायतों के कतिपय स्थानों पर चापाकल में पानी नहीं आ रहा है, जिसके आलोक में ट्रैंकरों के माध्यम से जलापूर्त्ति की जा रही है।

मुख्य सचिव, बिहार के द्वारा निदेश दिया गया कि जहाँ कहीं भी पेयजल की कमी की सूचना प्राप्त होती है, वहाँ तुरन्त संबंधित कार्यपालक अभियंता को भेज कर आवश्यक कार्रवाई की जाय। यह भी निदेश दिया गया कि भू–जल स्तर पर सतत् निगरानी रखी जाय एवं खराब चापाकलों की यथा शीघ्र मरम्मति करायी जाय।

बैठक की कार्यवाही सधन्यवाद समाप्त की गई।

ह0/–
(दीपक कुमार)
मुख्य सचिव,
बिहार

ज्ञापांक 01/प्रा0आ0–07/2014(खण्ड–II)................../आ0प्र0 पटना–23, दिनांक–

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, कृषि विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/ ऊर्जा विभाग/स्वास्थ्य विभाग/ पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग/ ग्रामीण विकास विभाग/ खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय, बिहार, पटना/निदेशक, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, फुलवारी शरीफ, पटना/क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय भू–जल आयोग, 6ठा एवं 7वां तल, लोकनायक जयप्रकाश भवन, फ्रेजर रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
(आमोद कुमार शरण)
अपर सचिव

ज्ञापांक 01/प्रा0आ0–07/2014(खण्ड–II) ..../आ0प्र0 पटना–23, दिनांक–

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
अपर सचिव

ज्ञापांक 01/प्रा0आ0–07/2014(खण्ड–II)................../आ0प्र0 पटना–23, दिनांक–

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/विकास आयुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
अपर सचिव

ज्ञापांक 01/प्रा0आ0–07/2014(खण्ड–II)......1109../आ0प्र0 पटना–23, दिनांक– 18/4/19

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/आई0टी0 मैनेजर, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेब साईड पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16.4.19
अपर सचिव

E:\2019\Proceeding\CMG Procedding 11.4.19.docx